उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण अपील वाद सं0–02/2016–17

श्रवण यादव

बनाम्

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा।

–: आदेश :–

दिनांक 1/9/23

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता श्रवण यादव, पे0–शैलेन्द्र यादव सा0–घाट जमनी, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के अधिहरण वाद सं0–07/2014 के आदेश दिनांक–19.06.2016 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने अधिहरण वाद सं0–07/2014 के आदेश दिनांक–19.06.2016 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927(बिहार संशोधन 1990) के धारा 26(g)(h), 41 एवं 42 के उल्लंघन के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52(1)(D) के अर्न्तगत ट्रक(1109) सं0–JH17C-5254 एवं जप्त कोयला लगभग 05 टन को राजसात किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वन रक्षी के द्वारा ट्रक निबंधन सं0– JH17C-5254 को जप्त किया था, जिसमें 05 टन कोयला लदा हुआ दिखाया गया था। उक्त कोयला शंकर मिर्धा के द्वारा एम. एस. महावली इन्टरप्राईजेज से क्रय किया गया था, जिसके लिए चालान भी निर्गत किया गया था। ट्रक को जप्त करने के बाद वन विभाग के द्वारा इस मामले की सूचना न्यायिक अदालत को दिया गया है। लेकिन वन विभाग के द्वारा निर्धारित अवधि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किये जाने के कारण अपीलकर्त्ता को जमानत मिल गया। इसके बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा वन विभाग के समक्ष सम्पूर्ण प्रासंगित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसे वन विभाग के द्वारा अवलोकन नहीं किया गया। बल्कि वन विभाग के द्वारा वास्तविक मालिक के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करके मनमाना तरीका से अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आदेश किया गया है। इस प्रकार वन विभाग द्वारा

पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने आवश्यक आदेश पारित करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लगभग 05 टन कोयला के अवैध परिवहन करते हुए ट्रक(1109) सं0– JH17C-5254 को अधिसूचित आरक्षित वन जियाजोरी से कोयले के तस्करी में पूर्णतः संक्षिप्त पाया गया है एवं प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा प्रमण्डल के द्वारा नोटिश देने के बाद भी कोई भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए एवं न ही कारण पृच्छा दाखिल किया गया। वर्तमान अपील वाद में भी अपीलकर्त्ता की ओर से कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया है। इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा प्रमण्डल का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह –वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के अधिहरण वाद सं0–07/2014 में दिनांक–19.01.2016 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 13:22:51 +05:30
Location: 192.168.1.38